



2026:AHC:125059-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23066 वर्ष 2026

जितेंद्र सिंह बाजवा और एक अन्य..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कार्तिकेय अग्रवाल, राघव देव गर्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता, जगन्नाथ मौर्य, पंकज श्रीवास्तव, शिव

प्रकाश गुप्ता

न्यायालय सं - 39

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति श्री सत्य वीर सिंह

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री कार्तिकेय अग्रवाल को सुना; उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता श्री जगन्नाथ मौर्य, श्री अर्चना श्रीवास्तव, प्रतिपक्षी संख्या-6/नगर निगम, मेरठ के अधिवक्ता श्री पंकज श्रीवास्तव, प्रतिपक्षी संख्या-8/मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री शिव प्रकाश गुप्ता और राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अंबरीश शुक्ला को संक्षिप्त जानकारी देते हुए।

2. यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। इससे पहले, एक समन्वय पीठ ने जितेंद्र सिंह बाजवा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य, 2026:एचसी:61996-DBमें दिनांक 25.03.2026 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर पिछली रिट याचिका का निम्नलिखित शर्तों पर निस्तारण किया था:



"10. इस मामले के इस प्रकार के उपरोक्त दृष्टिकोण में, इसलिए, यदि याचिकाकर्ता, जो कंपनी के पूर्व निदेशक थे, तहसील दार द्वारा जारी बरामदगी प्रमाण पत्र और परिणामी उद्धरण से व्यथित हैं, तो बरामदगी प्रमाण पत्र की रखरखाव और स्थिरता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर के समक्ष अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं और तदनुसार, हम याचिकाकर्ताओं को निर्देश देने के साथ इस याचिका का निस्तारण करते हैं कि पहली बार में वे कलेक्टर से संपर्क करेंगे / जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने अपने व्यक्तिगत नाम से जारी की गई बरामदगी प्रमाण-पत्र के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कराना गलत था। वे आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी आपत्तियां दर्ज करेंगे और न केवल याचिकाकर्ताओं को बल्कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ प्रतिपक्षी संख्या-9 और 10 को भी सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट, जिला मेरठ छह सप्ताह की अवधि के भीतर इसका निस्तारण करेंगे। हम आगे प्रदान करते हैं कि जब तक इस तरह की आपत्तियों का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण नहीं किया जाता है, तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किया गया 06.03.2013 का बरामदगी प्रमाण पत्र और परिणामी बरामदगी उद्धरण दिनांक 09.03.2026 कलेक्टर द्वारा निर्णय के अंतिम परिणाम का पालन करने के लिए स्थगित रहेगा।

3. प्रस्तुत रिट याचिका के प्रस्तर-67 से 75 में, इसे निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

"67. दिनांक 07.04.2026 को उपरोक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व), मेरठ के कार्यालय से जारी दिनांक 25.04.2026 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को 30.04.2026 को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 25.04.2026 के पत्र की एक प्रति इसके साथ दायर की जा रही है और इस याचिका के अनुलग्नक संख्या-18 के रूप में चिह्नित की जा रही है।

68. कि उपरोक्त संचार के अनुपालन में, याचिकाकर्ता 30.04.2026 को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के कार्यालय के समक्ष विधिवत उपस्थित हुए।

69. उक्त तिथि पर, जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष अन्य हितधारकों का भी प्रतिनिधित्व किया गया था। हालांकि, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने हितधारकों को केवल अपनी लिखित आपतियां/उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और सुनवाई की कोई और तारीख तय नहीं की गई और न ही याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई प्रभावी मौखिक अवसर दिया गया।

70. इसके बाद, दिनांक 21.05.2026 का आक्षेपित आदेश, जो याचिकाकर्ताओं को 27.05.2026 को दिया गया था, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.03.2026 के आदेश में निहित निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए, याचिकाकर्ताओं सहित किसी भी हितधारक को सुनवाई का कोई मौखिक अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया।

71. दिनांक 21.05.2026 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा कि इसे पूरी तरह से बिना दिमाग के आवेदन के और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपतियों पर उचित विचार किए बिना और प्रश्न में विवाद को नियंत्रित करने वाली सही कानूनी स्थिति की मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है।

72. दिनांक 21.05.2026 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं की आपतियों को खारिज कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से दिनांक 06.03.2026 के रिकवरी उद्धरण/बरामदगी प्रमाण पत्र के अनुसार बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

73. कि उपरोक्त निर्देश याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई व्यापक आपतियों पर विचार किए बिना जारी किए गए हैं, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.03.2026 के आदेश के अनुपालन में आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न आधार, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि एन.जी.टी. अधिनियम में कंपनी की देनदारियों के लिए निदेशकों के खिलाफ बरामदगी की परिकल्पना नहीं की गई है, यह तथ्य कि बरामदगी की कार्यवाही कथित तौर पर उन संपत्तियों के खिलाफ शुरू की जा रही है जो याचिकाकर्ताओं से



संबंधित नहीं हैं, साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में उठाए गए विभिन्न अन्य आधार और दिनांक 07.04.2026 को उनकी आपतियों/अभ्यावेदन में उठाए गए विभिन्न अन्य आधार, दिनांक 21.05.2026 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, और इसलिए इसे अकेले इस आधार पर रद्द किया जा सकता है।

74. विशेष रूप से, इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.03.2026 का आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए दावों और आधारों पर विधिवत ध्यान दिया था और उसके बाद ही जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ को ऐसी सभी आपतियों पर विचार करने और सभी हितधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक तर्कसंगत और सुविचारित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।

75. हालांकि, इस माननीय न्यायालय के पूर्वोक्त जनादेश का जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.05.2026 के आक्षेपित आदेश को केवल इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए।

4. रिट याचिका में उपरोक्त कथन दिनांक 21.05.2026 के आक्षेपित आदेश में निहित पुनरावृत्ति के अनुरूप है।

5. मूल आवेदन संख्या-492 वर्ष 2022, ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसाइटी और ग्रीन वुड सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मेरठ और 7 अन्य में एन.जी.टी. द्वारा पारित दिनांक 04.03.2025 के आदेश का भी संदर्भ दिया जा सकता है।

"83. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस OA का निपटान करते हैं:

(i)

(ii)



(iii) हम अंतरिम उपाय के रूप में प्रतिपक्षी1 (परियोजना प्रस्तावक) को 10 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने और प्रतिपक्षी3 यानी यूपीपीसीबी के साथ तीन महीने के भीतर जमा करने का निर्देश देते हैं।

6. निस्संदेह एन.जी.टी. द्वारा कंपनी पर 10 करोड़ रुपये की देनदारी तय की गई थी। वर्तमान में, कंपनी रजिस्ट्रार, हरियाणा द्वारा दिनांक 07.07.2025 के आदेश के माध्यम से कंपनी का नाम कंपनियों की सूची से हटा दिया गया है और कंपनी को भंग कर दिया गया है। विचार के लिए मुद्दा उठता है - क्या निगम के विघटन के उपरोक्त विकास के आधार पर, या तो कानून के स्वचालित संचालन द्वारा या कॉर्पोरेट घूँघट को हटाने के सिद्धांत के बल पर, प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं ने कंपनी के बकाया का निर्वहन करने के लिए दायित्व लिया है [एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 04.03.2025 (ऊपर दिए गए)]।

7. पहले के अवसर पर, समन्वय पीठ ने याचिकाकर्ताओं को प्रतिपक्षी संख्या-3/जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करने की आवश्यकता वाली रिट याचिका का निस्तारण कर दिया था। वे आपत्तियां 07.04.2026 को दायर की गई थीं। रिट याचिका में की गई दलीलों के आधार पर, जैसा कि आक्षेपित आदेश में निहित पुनरावृत्ति के अनुरूप है, अन्य हितधारकों ने भी आपत्तियां दायर कीं। अन्य बातों के अलावा, यह दावा किया गया था कि निगम एक शेल इकाई थी और याचिकाकर्ता उक्त निगम द्वारा किए गए लेनदेन के वास्तविक ऑपरेटर/लाभार्थी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही 21.05.2026 को समाप्त हो गई है। न तो याचिकाकर्ताओं को अन्य पक्षों द्वारा भरोसा की गई सामग्री का सामना किया गया और न ही उन्हें इसका खंडन करने का कोई अवसर दिया गया। सीधे तौर पर, आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करते हुए पारित किया गया था, जिसमें उन्हें निगम के बकाया के लिए व्यक्तिगत रूप से, केवल कॉर्पोरेट घूँघट हटाने के सिद्धांत के आवेदन पर, उत्तरदायी ठहराया गया था।

8. ऐसे तथ्यों में, मुख्य आधार पर दबाव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस हद तक याचिकाकर्ताओं को उनके खिलाफ भरोसा की गई प्रतिकूल सामग्री का सामना नहीं करना पड़ा और जिस हद तक प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान को उचित प्रभाव दिए बिना गूढ़ निष्कर्ष दर्ज किए जा सकते हैं, एक संक्षिप्त सुनवाई पर, हम रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि, प्रतिपक्षी के अधिवक्ता ने सुझाव दिया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को प्रतिपक्षी संख्या-3/जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष एक अवसर दिया जा सकता है।

9. ऐसी परिस्थितियों में, प्रस्तुत याचिका को आगे लंबित रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तदनुसार, प्रस्तुत याचिका का निस्तारण निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) दिनांक 25.03.2026 के आक्षेपित आदेश को **रद्द/अपास्त** किया जाता है।

(ii) प्रतिपक्षी संख्या-3/जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ कार्यवाही में एक नई तारीख निर्धारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर सकते हैं। यह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्राप्त और भरोसा की गई सभी प्रतिकूल सामग्री के साथ प्रतियां दे सकता है, चाहे वह विवाद के अन्य हितधारकों या पक्षकारों द्वारा दायर की गई हो या अन्यथा राज्य के अधिकारियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। इस तरह का अनुपालन आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

(iii) इस तरह के नोटिस की तामील होने पर, याचिकाकर्ता दो सप्ताह की अवधि के भीतर जो भी सामग्री पर वे भरोसा करना चाहते हैं, उसके आधार पर अपना अंतिम उत्तर दाखिल कर सकते हैं।

(iv) इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या-3 सभी पक्षों को कम से कम 15 दिन की अग्रिम सूचना के साथ सुनवाई की उचित तारीख तय कर सकता है। पक्षगण किसी भी अनुचित या लंबे समय तक स्थगन की मांग नहीं करने का वचन देती हैं।

(v) सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, न केवल विवादित तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद बल्कि संगत सांविधिक उपबंधों और लागू कानून के उचित अनुप्रयोग पर भी विचार करने के बाद उपयुक्त अंतिम आदेश पारित किया जा सकता है। इस तरह की कवायद को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अंतिम आपत्तियों की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर यथासंभव शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है।

3 जून 2026

प्रखर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह)(न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!